अनुदान संख्या 85 – ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 85 - DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	198026,19,00	344855,53,00	336116,75,89	-8738,77,11
पूरक	Supplementary	146829,34,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				945,66,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		100,00,00	..	-100,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4876.00	6177.60	6155.97	-21.63
पु.	R.	1301.60			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	302100.00	511191.11	511191.09	-0.02
पू.	S.	268400.00			
पु.	R.	-59308.89			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	2148.00			
पू.	S.	3377148.00	3377136.10	3377383.75	+247.65
पु.	R.	-2159.90			
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"				
विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	186733.00			
पू.	S.	2.00	212230.08	212171.03	-59.05
पु.	R.	25495.08			
मुख्य शीर्ष "2505"	Major Head "2505"				
ग्रामीण रोजगार	Rural Employment				
मू.	O.	10475529.00			
पू.	S.	8255783.00	19028209.87	19295180.07	+266970.20
पु.	R.	296897.87			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	50812.00			
			22705.18	21956.15	-749.03
पु.	R.	-28106.82			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	560835.00			
पू.	S.	195000.00	195000.38	195000.00	-0.38
पु.	R.	-560834.62			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़कें और सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	23044.00			
			18076.89	13604.87	-4472.02
पु.	R.	-4967.11			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7983071.00			
पू.	S.	2543829.00	10617417.69	9511190.24	-1106227.45
पु.	R.	90517.69			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	213471.00			
पू.	S.	42772.00	402842.10	467842.72	+65000.62
पु.	R.	146599.10			

(I) ₹579326.00 लाख का प्रावधान पच्चीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹578937.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹579326.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty five heads; of these ₹578937.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2216" — "ग्रामीण आवास" —

(क) "इंदिरा आवास योजना — ब्याज सहायिकी" — ₹10000.00 लाख प्रस्तावित कार्यकलापों की शुरुआत न होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना— इंदिरा आवास योजना" — ₹1400.00 लाख; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप—योजना — इंदिरा आवास योजना" — ₹2000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2216" - "Rural Housing" -

(a) "Indira Awaas Yojana - Interest Subsidy" - ₹10000.00 lakhs - due to non-initiation of proposed activities and non-receipt of proposals from Implementing Agencies.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indira Awaas Yojana" - ₹1400.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Indira Awaas Yojana" - ₹2000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from Union Territories without legislatures.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" — "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — सूचना, शिक्षा और संचार" — ₹2002.00 लाख कोविड—19 महामारी की वजह से मीडिया अभियान का आयोजन न किए जाने के कारण।

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes - National Rural Employment Guarantee Scheme - Information, Education and Communication" - ₹2002.00 lakhs - due to non-organizing of media campaigns owing to Covid-19 pandemic.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" —

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम — प्रशिक्षण — राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" — ₹1035.00 लाख;

(ख) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम — अन्य व्यय" —

(i) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला आयोजन प्रक्रिया का

(C) Major Head - "2552" -

(a) "Other Rural Development Programmes - Training - Grants to National Institute of Rural Development" - ₹1035.00 lakhs;

(b) "Other Rural Development Programmes - Other Expenditure" -

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and

सुदृढ़ीकरण" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "रूरबन मिशन" – ₹6000.00 लाख;

(ग) "स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹47780.00 लाख;

(घ) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – कार्यक्रम संघटक" – ₹178000.00 लाख;

(ङ) "समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹92000.00 लाख;

(च) "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना" – ₹125000.00 लाख;

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹30000.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹23212.00 लाख;

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹40000.00 लाख; और

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹16808.00 लाख।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का

Strengthening District Planning Process" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "RURBAN Mission" - ₹6000.00 lakhs;

(c) "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" - ₹47780.00 lakhs;

(d) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component" - ₹178000.00 lakhs;

(e) "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme" - ₹92000.00 lakhs;

(f) "Rural Housing - Indira Awaas Yojna - Indira Awaas Yojana" - ₹125000.00 lakhs;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Indira AwaasYojana" - ₹30000.00 lakhs;

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹23212.00 lakhs;

(h) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹40000.00 lakhs; and

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹16808.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on

पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन" – ₹2700.00 लाख – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" - ₹2700.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territories with Legislature.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹2148.00 लाख के मूल प्रावधान को सितम्बर, 2020 ₹3377148.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3379296.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण ₹1912.25 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute -National Social Assistance Programme" - the original provision of ₹2148.00 lakhs was augmented to ₹3379296.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3377148.00 lakhs in September, 2020 which, however, remained unutilized to the extent of ₹1912.25 lakhs - due to receipt of less proposals.

(III) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना – कार्यक्रम संघटक"– ₹45908.91 लाख की बचत (₹288700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेमीनारों/बैठकों का आयोजन न होने और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2216" - "Rural Housing-Indira Awaas Yojna - Indira Awaas Yojana - Programme Component" - saving of ₹45908.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹288700.00 lakhs) was due to non-conduction of seminars/ meetings and receipt of less proposals from implementing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष "2501" – "स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission" - savings occurred under the following heads:-

(का) "आजीविका – ईएपी संघटक" – ₹1708.13 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत प्रवासन सहायता केन्द्र की स्थापना न होने के कारण हुई।

(A) "Aajeevika - EAP Component" - saving of ₹1708.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-setting up of migration support center under National Rural Economic Transformation Project.

(खा) "प्रबंधन सहायता" – ₹1782.46 लाख की बचत (₹4221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा कोविड–19 महामारी की वजह से कम

(B) "Management Support" - saving of ₹1782.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4221.00 lakhs) was due to receipt of less proposals

सरस मेले का आयोजन होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता" – ₹26232.97 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹1014.11 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹3322.00 लाख की बचत (₹11365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला आयोजन प्रक्रिया का सदृढ़ीकरण" – ₹22234.07 लाख की बचत (₹35553.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(ख) "रुरबन मिशन" – ₹3304.55 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापन अभियान होने, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और

and conduction of less SARAS fairs owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes - National Rural Employment Guarantee Scheme" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Capacity Building and Technical Support" - saving of ₹26232.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(B) "Expenditure in Union Territories without Legislature" - saving of ₹1014.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories.

(VI) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - Grants to National Institute of Rural Development" - saving of ₹3322.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11365.00 lakhs); and

(B) "Other Expenditure"-

(a) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - saving of ₹22234.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35553.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic.

(b) "RURBAN Mission" - saving of ₹3304.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to less advertisement campaigns, receipt of less

क्षमता निर्माण कार्यकलापों के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

proposals from Union territories without legistature and requirement of less funds by National Institute of Rural Development under capacity building activities.

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(VII) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads: -

(का) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" –

(A) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" -

(क) "ईएपी संघटक" – ₹2449.88 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक के अंतर्गत कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्थगित होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और नवीकरण कार्यों के बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "EAP Component" - saving of ₹2449.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to deferement of some training programme under World Bank, non-filling up of vacant posts and non-finalisation of bills for renovation works.

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को सहायता" – ₹2466.69 लाख की बचत (₹4421.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Assistance to National Rural Roads Development Agency" - saving of ₹2466.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4421.00 lakhs); and

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधि / जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क निधि / केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹4472.00 लाख की बचत (₹9472.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "General - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts - Transfer to Central Road Fund/ Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹4472.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9472.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from National Rural Infrastructure Development Agency.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(VIII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन" – ₹11066.48 लाख की बचत (₹47600.00 लाख के

(a) "Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" - saving of ₹11066.48 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹481012.62 लाख की बचत (₹1568428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹20000.00 लाख की बचत (₹120000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹806228.00 लाख की बचत (₹1568428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम निधियों के अंतरण की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" – ₹25577.46 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(X) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹696.05 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत और 96 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹768403.71 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में ₹18988.54 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(against the sanctioned provision of ₹47600.00 lakhs);

(b) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹481012.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1568428.00 lakhs); and

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹20000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals.

(C) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Central Road Fund/Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹806228.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1568428.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to transfer of less funds.

(IX) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - saving of ₹25577.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories with Legislature.

(X) Under two heads savings of ₹696.05 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 45 percent and 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹768403.71 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹18988.54 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" – "स्व–रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" –

(क) "आजीविका–कार्यक्रम संघटक" – ₹28838.63 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹28808.62 लाख था।

(ख) "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना" – ₹297.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमें – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता" – ₹326669.36 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹326686.17 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम" – ₹339965.12 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹39966.10 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹36726.09 लाख।

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹5951.15 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5951.14 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹8539.25 लाख।

(A) Major Head "2501" - "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission" -

(a) "Aajeevika - Programme Component" - ₹28838.63 lakhs. Actual excess, however, was ₹28808.62 lakhs.

(b) "Deen Dayal Upadhaya Gramin Kaushalya Yojana (DDUGKY)" - ₹297.00 lakhs.

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Schemes - National Rural Employment Guarantee Scheme - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme coordinators and others" - ₹326669.36 lakhs. Actual excess, however, was ₹326686.17 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - ₹339965.12 lakhs. Actual excess, however, was ₹39966.10 lakhs.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share"-

(i) "Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural" - ₹36726.09 lakhs.

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹5951.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹5951.14 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural"- ₹8539.25 lakhs.

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹2556.05 लाख।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹17005.88 लाख।

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन" – ₹1855.18 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – ग्रामीण विकास विभाग" – ₹1279.97 लाख का अधिक व्यय (₹4876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण" – ₹267086.30 लाख का अधिक व्यय (सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹4700000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹10850000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय हुआः–

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹127197.38 लाख का अधिक व्यय (₹697500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹2556.05 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural" - ₹17005.88 lakhs.

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹1855.18 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Rural Development" - excess of ₹1279.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4876.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards administrative expenses.

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts - Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" - excess of ₹267086.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10850000.00 lakhs including supplementary grants of ₹4700000.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021) was due to requirement of additional funds toward transfer to National Rural Employment Guarantee Fund.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural" - excess of ₹127197.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹697500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major

उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और लंबित देयताओं के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹41382.11 लाख का अधिक व्यय (₹819000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कार्य योजना कार्यान्वयन और ग्रामीण गरीब युवा के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹21074.73 लाख का अधिक व्यय (₹250858.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कार्य योजना के कार्यान्वयन और राज्यों की प्रशासनिक लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹1708.12 लाख का अधिक व्यय (₹42100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना 2020–21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों

Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

(ii) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹41382.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹819000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards implementation of Action Plan and training for rural poor youth.

(iii) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹21074.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250858.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards implementation of Action Plan and administrative cost of States.

(b) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹1708.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by State Governments towards implementation of National Rural Economic Transformational

से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹17450.12 लाख का अधिक व्यय (₹205672.14 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹12065.25 लाख का अधिक व्यय (₹143613.86 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना 2020–21 के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹42051.62 लाख का अधिक व्यय (₹299300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्यों के लंबित प्रस्तावों के समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआः–

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹102729.61 लाख का अधिक

Project (NRETP) within the Action Plan 2020-21 approved by Empowered Committee.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹17450.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹205672.14 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹12065.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹143613.86 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards implementation of Action Plan 2020-21 approved by Empowered Committee.

(ii) "Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural" - excess of ₹42051.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹299300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and clearance of pending proposals of states.

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - excess of ₹102729.61

व्यय (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of the scheme by Union Territory of Jammu and Kashmir.

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹65000.00 लाख का अधिक व्यय (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य का केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजन होने की वजह से नव–निर्मित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Central Road Fund/ Central Road and Infrastructure Fund" - excess of ₹65000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to receipt of additional demand from newly created Union Territory of Jammu & Kashmir owing to bifurcation of State into Union Territories.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"			
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works	10000.00	..	- 10000.00

(I) ₹10000.00 लाख का प्रावधान एक मामले में "कार्यालय भवन – निर्माण – ग्रामीण विकास भवन" के अंतर्गत ग्रामीण विकास भवन का निर्माण रद्द किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹10000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Office Buildings - Construction - Grameen Vikas Bhawan" - due to cancellation of construction of Grameen Vikas Bhawan.

4. *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि:–*

4. ***National Rural Employment Guarantee Fund:-***

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment

केंद्र सरकार द्वारा तथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अंसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि, जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे, संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके, जमा की जाती है।

Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

वर्ष 2020–21के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Accounts of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	111170,86,30
अदायगियां	Payments	111170,86,31
अंतशेष	Closing Balance	-1